राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर

आदेश

एकलपीठ दाण्डिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-**542/2015**

राधेश्याम उर्फ राधे बनाम राजस्थान राज्य

दिनांक:**30.01.2015**

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रशान्त कुमार अग्रवाल

श्री विवेक गोयल अधिवक्ता अभियुक्त- प्रार्थी की ओर से
श्री प्रकाश ठाकुरिया , विद्वान् लोक अभियोजक वास्ते राज्य

--

अभियुक्त-प्रार्थी ने अपनी जमानत हेतु यह प्रार्थना पत्र दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अधीन प्रस्तुत किया है। इस पर अधिवक्ता अभियुक्त-प्रार्थी एवं विद्वान् लोक अभियोजक को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध करायी गयी सामग्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा पत्रावली पर उपलब्ध करायी गयी सामग्री एवं अनुसंधान के दौरान एकत्रित की गयी साक्ष्य, जिसे आरोप पत्र की प्रतिलिपि के रूप में हमारे समक्ष पेश किया गया है तथा विशेष रूप से घटना में प्रार्थी की भूमिका तथा अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए, मैं प्रकरण के इस प्रक्रम पर गुणदोषों पर कोई अन्तिम राय व्यक्त किये बिना अभियुक्त- प्रार्थी को जमानत की सुविधा दिया जाना न्यायोचित नहीं पाता हूं।

अत: अभियुक्त- प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह जमानत का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

(न्या0 प्रशान्त कुमार अग्रवाल)

अनिलशर्मा/-M-20

"'all corrections made in the judgment/order have been incorporated in the judgment/order being e-mailed." अनिल शर्मा/ps